प्रेस विज्ञप्ति

23.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रमोटरों और अन्य सह-आरोपी/सहयोगियों द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के विरुध्द **6117.93** करोड़ रुपए (मूलधन **2540.92** करोड़ रुपए और ब्याज **3577.01** करोड़ रुपए) के बैंक ऋण धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम, **2002** (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एसजीएस समूह के अधिकार क्षेत्र में एसजीएस मॉल पुणे में दुकानों के रूप में कुल **13.20** करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने आईपीसी, **1860** की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए पीएमसी द्वारा जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक), राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों ने पीएमसी बैंक से ओडी/क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया। एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों द्वारा भुगतान में बार-बार चूक के बावजूद, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने से बचाने के लिए ओडी सीमाएं समय-समय पर बढ़ाई गई। इसके अलावा, ईडी की जांच से यह भी पता चला कि राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन मुख्य निदेशक/प्रमोटर थे और एचडीआईएल और इसकी समूह कंपनियों के सभी बैंक खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत थे। कंपनियों के सभी प्रमुख निर्णय उनके द्वारा लिए जाते थे। उन्होंने अन्य आरोपियों/सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध की आय को एचडीआईएल और इसकी समूह कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया है जो उनके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। उन्होंने संपत्ति अर्जित करने के लिए अपराध की आय को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों और अपने करीबी सहयोगियों के बैंक खातों में भी स्थानांतरित कर दिया है।

एचडीआईएल समूह के बैंक खातों की जांच के दौरान, जांच से पता चला कि मैसर्स एचडीआईएल ने पीएमसी बैंक को अंधेरे में रखते हुए अपराध की आय को निकाल लिया था और इसे बेदाग दिखाने के लिए अपराध निधि की इस आय को मैसर्स एसजीएस समूह के पास जमा कर दिया था।

इससे पहले, **17.10.2019** को मुख्य आरोपी राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को गिरफ्तार किया गया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। तत्काल कुर्की के बाद, ईडी ने पीएमएलए, **2002** के प्रावधानों के तहत कुल **675.27** करोड़ रुपए की राशि अपराध की आय के रूप में अभिज्ञात एवं कुर्क की है। साथ ही, उनके और **36** अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अब तक अभियोजन शिकायत और **2** पूरक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।